# DHANVANTRI
## JEEVAN REKHA LTD.

1, SAKET - MEERUT - 250 003 (U.P.) INDIA
✆ : 0121-2648151-52, 2651801 Fax : 2651803
e-mail : dhanvantrihospital@gmail.com website : www.djrl.org.in
CIN L85110UP1993PLC015458


**The Mumbai Stock Exchange Association Limited, Mumbai**
**Phiroza Jeejeebhoy Towers,**
**Dalal Street**
**Mumbai – 400 001**

Dear Sir,

**Sub: Newspaper Clipping of Publication of Notice of Board Meeting**
**Ref: Scrip Code: 531043**

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regilations,'2015 Please find enclosed herewith the copy of the Publication of Notice of Board Meeting published in Jansatta on 03rd August, 2018.

A copy of newspaper is enclosed for your reference.

This is for your Information and record.

Thanking you

**For Dhanvantri Jeevan Rekha Ltd.**

**(Premjit Singh Kashyap)**
**Director**
**DIN: 01664811**

**Date: 03.08.2018**
**Place: Meerut**

# सादे समारोह में शपथ लेंगे इमरान

## कोई विदेशी राजनेता आमंत्रित नहीं होगा, इमरान के कुछ विदेशी मेहमान ही बुलाए जाएंगे

इस्लामाबाद, 2 अगस्त (भाषा)।

पाकिस्तान ने कहा है कि इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में किसी भी विदेशी नेता को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। देश के भावी प्रधानमंत्री एक सादे समारोह में शपथ लेना चाहते हैं। खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) 25 जुलाई को हुए चुनाव में सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी है। 65 साल के इमरान 11 अगस्त को शपथ ग्रहण कर सकते हैं।

विदेश कार्यालय (एफओ) के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने गुरुवार को बताया कि राष्ट्रपति भवन में एक सादा समारोह आयोजित किया जाएगा। हालांकि इसकी तारीफ अभी तय नहीं की गई है। फैसल ने कहा, 'पीटीआइ अध्यक्ष इमरान खान के कुछ करीबी दोस्तों के अलावा विदेशों से कोई गणमान्य व्यक्ति एवान-ए-सदर में आयोजित होने वाले सादे और गरिमामय शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगा।' राष्ट्रपति ममनून हुसैन खान को पद की शपथ दिलाएंगे।

खान की पार्टी ने शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कुछ विदेशी नेताओं को आमंत्रित करने की योजना बनाई थी। हालांकि गुरुवार को इस पर रुख बदलते हुए खान ने सादे समारोह में शपथ लेने का फैसला किया। फैसल ने कहा कि पीटीआइ ने भी घोषणा की थी कि कोई विदेशी नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगा।

एक ट्वीट में पीटीआइ ने घोषणा की कि शपथ ग्रहण सादे और गरिमामय समारोह में ली जाएगी और विदेशी गणमान्य लोगों को आमंत्रित नहीं करने का निर्णय लिया गया है। इससे पूर्व पीटीआइ नेताओं ने कहा था कि विदेश कार्यालय ने विदेशी नेताओं को आमंत्रित करने पर विचार-विमर्श किया है। इन नेताओं में चीन और तुर्की के साथ-साथ सार्क देशों के नेता भी शामिल हो सकते हैं।

पीटीआइ के प्रवक्ता फवाद चौधरी ने कहा कि एफओ ने विदेशी नेताओं को आमंत्रित करने के मुद्दे पर सलाह लेने के लिए संपर्क किया था। खबरों के मुताबिक एफओ के शुरुआती तर्कों में कहा गया है कि यदि भारतीय प्रधानमंत्री आमंत्रण स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं तो पाकिस्तान को एक बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को खान को फोन कर आम चुनाव में उनकी पार्टी की जीत के लिए बधाई दी थी। मोदी ने उम्मीद जताई थी कि पाकिस्तान और भारत द्विपक्षीय संबंधों की दिशा में एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए काम करेंगे। खान ने उनकी शुभकामनाओं के लिए मोदी को धन्यवाद दिया था और जोर दिया था कि विवादों को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए।

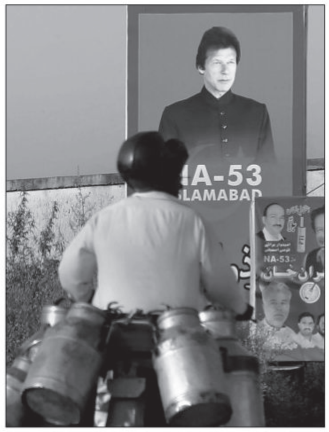


इस्लामाबाद में इमरान खान के घर के पास लगा उनका पोस्टर। (फाइल फोटो)

## भारत से वार्ता बहाली चाहता है पाकिस्तान

इस्लामाबाद, 2 अगस्त (भाषा)।

पाकिस्तान ने इमरान खान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बधाई देने के लिए किए गए फोन कॉल का स्वागत किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि 2015 से ठप पड़ी द्विपक्षीय वार्ता को वह बहाल करना चाहता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आम चुनाव में मिली जीत को लेकर उन्हें बधाई देने के लिए सोमवार को टेलीफोन किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई थी कि पाकिस्तान और भारत द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए काम करेंगे। खान ने मोदी की शुभकामनाओं को लेकर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि विवादों का हल वार्ता के जरिए होना चाहिए।

गुरुवार को अपने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में विदेश कार्यालय के प्रवक्ता डॉ मुहम्मद फैसल ने कहा कि उन्हें आशा है कि यह फोन कॉल भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता का मार्ग प्रशस्त करेगी। उन्होंने आशा जताई कि यह दक्षेस देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में ले जाएगा। 2016 का दक्षेस शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद में होना था। लेकिन जम्मू कश्मीर के उरी में थल सेना के शिविर पर हुए एक भीषण आतंकी हमले के बाद भारत ने मौजूदा परिस्थितियों के चलते सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया था और पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाया था। बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया। इसके बाद सम्मेलन स्थगित कर दिया गया।

# अमेरिका का 716 अरब डॉलर का रक्षा बजट

## भारत के साथ संयुक्त अभ्यास और सहयोग बढ़ाने का प्रावधान

वाशिंगटन, 2 अगस्त (भाषा)।

अमेरिकी संसद ने 716 अरब डॉलर का रक्षा विधेयक पारित किया है। इसमें भारत के साथ देश की रक्षा भागीदारी मजबूत करने की बात कही गई है।

अमेरिकी कांग्रेस में 2019 वित्त वर्ष के लिए जॉन एस मैक्केन नेशनल डिफेंस अथॉराइजेशन एक्ट (एनटीएए) (रक्षा विधेयक) बुधवार को 10 मतों के मुकाबले 87 मतों से पारित कर दिया गया। सदन ने पिछले हफ्ते विधेयक पारित किया था। अब यह कानून बनने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए वाइट हाउस जाएगा।

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट ने संयुक्त कांफ्रेंस रिपोर्ट में कहा कि अमेरिका को भारत के साथ अपनी अहम रक्षा साझेदारी मजबूत करनी चाहिए। दोनों देशों को ऐसी साझेदारी करनी चाहिए जो हमारी सेनाओं के बीच 'रणनीतिक, संचालनात्मक और सामरिक समन्वय बढ़ा सके।' कांग्रेस के दोनों सदनों में पारित एनडीएए-2019 के मुताबिक अमेरिकी सरकार को मानवीय और आपदा राहत प्रतिक्रिया पर सहयोग और समन्वय बेहतर करना, फारस की खाड़ी, हिंद महासागरीय क्षेत्र और पश्चिम प्रशांत महासागर में भारत के साथ अतिरिक्त संयुक्त अभ्यास करना और सुरक्षा व स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक प्रयास बढ़ाने का प्रावधान है। विधेयक के मुताबिक, कांग्रेस का मानना है कि अमेरिका को जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अन्य सहयोगियों व साझेदारों के साथ मिलकर मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के मूल्य बरकरार रखने की दिशा में काम करना चाहिए और क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता कायम करनी चाहिए।

## बिना कुछ किए पाक को मिलेंगे 15 करोड़

वाशिंगटन, 2 अगस्त (भाषा)।

अमेरिकी संसद से पारित रक्षा विधेयक के अनुसार अब पाकिस्तान को अमेरिका से सहायता पाने के लिए आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है।

बुधवार को पारित इस विधेयक में भले ही पाकिस्तान को मिलने वाली सहायता राशि घटाकर 15 करोड़ डॉलर कर दी गई है। लेकिन इस धन को पाने के एवज में हक्कानी नेटवर्क और लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ कार्रवाई की पूर्व शर्त भी ट्रंप प्रशासन ने हटा ली है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में वाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य रहे अनीश गोयल ने कहा, विधेयक में पाकिस्तान को प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली कुल राशि घटाकर 15 करोड़ डॉलर कर दी गई है। यह पिछले साल मंजूर 70 करोड़ डॉलर के मुकाबले काफी कम है।'


पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

सामान्य सेवाएं प्रशासन प्रभाग
प्रथम तल, प्लॉट सं. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

निविदा सूचना

पंजाब नैशनल बैंक, अपने प्रधान कार्यालय, प्लॉट 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075 में प्रथम, द्वितीय और तृतीय तल पर सर्कुलर हॉल में डिस्प्ले गैलरी/हिस्ट्री म्यूजियम के अनुकूलनीय उपयोग हेतु ईओआइ दस्तावेजों में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले और म्यूजियम/कला दीर्घाओं/ प्रदर्शनियों के आंतरिक डिजाइनिंग का अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित परामर्शदाता(ओं)/फर्मों से मुहरबंद ईओआइ आमंत्रित करता है। अधिक जानकारी हेतु कृपया हमारी वेबसाइट www.pnbindia.in पर जाएं।

ईओआइ को जमा करने की अंतिम तिथि 16-08-2018 को अपराह्न 3.00 बजे तक है।

इस विज्ञापन से संबंधित कोई भी शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल बैंक की वेबसाइट: www.pnbindia.in पर जारी किया जाएगा।

मुख्य प्रबंधक (सिविल)


## तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री से मिलीं सुषमा स्वराज

अश्गाबात, 2 अगस्त (भाषा)।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने तुर्कमेनिस्तान के अपने समकक्ष राशिद मेरेदोव से गुरुवार को कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। कजाखस्तान जा रही सुषमा की अगवानी यहां अश्गाबात हवाईअड्डे पर मेरेदोव ने की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट किया, ' इस पड़ाव का भरपूर लाभ उठाते हुए।' उन्होंने बताया कि सुषमा ने व्यापक द्विपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। वह इन दिनों कजाखस्तान, किर्गीस्तान और उज्बेकिस्तान की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं।

# उत्तर कोरिया ने लौटाए 55 अमेरिकी सैनिकों के अवशेष

पर्ल हार्बर, 2 अगस्त (एएफपी)।

कोरियाई युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों के अवशेष 65 साल बाद अंततः घर वापस आ रहे हैं। हालांकि, इन सैनिकों के घर वालों को अभी अपने प्रियजनों के अवशेष मिलने में सालों लग सकते हैं। क्योंकि वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को इनकी पहचान करने में वक्त लगेगा।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के बीच 12 जून को सिंगापुर में हुई वार्ता के दौरान दोनों नेताओं के बीच, युद्ध में मारे गए सैनिकों के अवशेष वापस अमेरिका भेजने पर भी सहमति बनी थी। किम युद्ध में मारे गए सैनिकों के अवशेष लौटाने पर जारी हो गए थे।

जून में वार्ता के बाद उस दिशा में ज्यादा प्रगति नहीं होने को लेकर आलोचनाओं में घिरे ट्रंप ने वादा पूरा करने के लिए किम की तारीफ की। उपराष्ट्रपति माइक पेंस अवशेष वापस लौटने के बाद हवाई में आयोजित एक कार्यक्रम में सैनिकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। 55 सैनिकों के अवशेष लेकर लौट रहे ताबूत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रीय ध्वज में लिपटे हुए हैं। कोरियाई प्रायद्वीप में 1950 से 1953 तक चले युद्ध में 35 हजार से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए थे।

# काबुल में भारतीय नागरिक समेत तीन की हत्या

### किसी भी संगठन ने नहीं ली है घटना की जिम्मेदारी

काबुल, 2 अगस्त (भाषा)।

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से अगवा एक भारतीय सहित तीन विदेशी नागरिकों की अज्ञात बंदूकधारियों ने गुरुवार को हत्या कर दी।

'तोलो न्यूज' के मुताबिक मृतकों में एक भारतीय, एक मलेशियाई और एक मकदूनिया का नागरिक शामिल है। ये सभी फ्रांसीसी खाद्य सेवा और सुविधा प्रबंधन की बड़ी कंपनी 'सोडेक्सो' में शेफ का काम करते थे। भारतीय नागरिक की उम्र 39 साल, मकदूनिया के शख्स की उम्र 37 साल और मलेशियाई नागरिक 64 साल के थे। तीनों को गुरुवार सुबह अगवा किया गया। तीनों के शव राजधानी काबुल के अशांत मुसाही इलाके में पाया गया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हथियारों से लैस अपहरणकर्ताओं ने सुबह करीब साढ़े आठ बजे विदेशी नागरिकों को उनके वाहन से उतारा और एक टोयोटा कोरोला कार में बैठाकर काबुल सिटी के नाइंथ पुलिस डिस्ट्रिक्ट के औद्योगिक पार्क इलाके में ले गए। खबरों के मुताबिक करीब 20 मिनट बाद विदेशी नागरिकों का ड्राइवर दफ्तर पहुंचा और उसने उनके अपहरण की सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और तलाश अभियान शुरू किया। करीब दो घंटे की पड़ताल के बाद शवों को बरामद किया गया। पुलिस मामले की आतंकवादी घटना के तौर पर जांच कर रही है। अब तक किसी समूह ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है।

भारत ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि घटना पर काबुल में भारतीय दूतावास अफगानिस्तान सरकार के साथ संपर्क में हैं।


DHANVANTRI JEEVAN REKHA LTD.
1, Saket, Meerut - 250 003, Ph.:0121-2648151-52, 2651801 Fax-0121-2651803
e-mail dhanvantrihospital@gmail.com : website:www.djrl.org.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 Read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 NOTICE is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, the 11th day of August, 2018 at 2:00 P.M. at Meerut, inter alia, to, consider and approve unaudited financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2018.

The said Notice may be accessed on the Company's website at http://www.djrl.org.in and may also be accessed on the Stock Exchange websites at http://www.bseindia.com.

As per the Code of conduct of the company for prevention of Insider Trading in the securities of the company the 'Trading Window' shall remain closed from 9:00 A.M. on 3rd August 2018 and end 48 hours after the results are made public on 11th August, 2018 for designated directors and employees of the company in view of the meeting of board of directors of the company is scheduled to be held on Saturday, the 11th day of August, 2018.

Place- Meerut
Date- 03.08.2018

For Dhanvantri Jeevan Rekha Ltd.
Sd/-
(Dr. V.S. Phull) Managing Director

DR. FRESH ASSETS LTD
CIN-L74899DL1990PLC042302
Regd. Off.: B-1/E-24, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110 044

NOTICE

Notice is hereby given that under Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 14th August, 2018 inter alia to approve and take on record the Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2018.

For Dr Fresh Assets Ltd.
Sd/-
Vijay Prakash Pathak
Whole Time Director
DIN: 07081958

Date: 01.08.2018
Place: Delhi

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में विज्ञापन
केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा
कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
बर्बरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (CIN : U52100DL2010FTC197874) जिसका पंजीकृत कार्यालय 3ए-1, ताज अपार्टमेंट, राव तुला राम मार्ग, नई दिल्ली - 110022 में है, के मामले में।
.................. आवेदक कम्पनी

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 25 जुलाई, 2018 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार, शक्ति क्षेत्रीय निदेशक को प्रदत्त के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल कर अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, के पतेः बी-2 विंग, 2रा तल, पं. दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
3ए-1, ताज अपार्टमेंट, राव तुला राम मार्ग, नई दिल्ली - 110022

आवेदक कम्पनी के लिए तथा उसकी ओर से
बर्बरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
समित गुहा
पदनामः निदेशक
(DIN: 06898192)
तिथिः 2 अगस्त, 2018
स्थानः दिल्ली


# 'व्यभिचार पर सजा समानता के अधिकार का उल्लंघन'

## कहा, विवाहित महिला को 'चल संपत्ति' के तौर पर नहीं समझ सकते

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वैवाहिक पवित्रता एक मुद्दा है, लेकिन व्यभिचार पर दंडात्मक प्रावधान संविधान के तहत समानता के अधिकार का परोक्ष रूप से उल्लंघन है क्योंकि यह विवाहित पुरुष और विवाहित महिलाओं से अलग अलग व्यवहार करता है।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाला पांच न्यायाधीशों का संविधान पीठ भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 497 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जजों ने प्रावधान के उस हिस्से से भी असहमति जताई, जिसमें कहा गया है कि यदि एक विवाहित महिला अपने पति की सहमति से किसी विवाहित व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो उस स्थिति में व्यभिचार का कोई मामला नहीं बनता।

जजों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के प्रावधानों पर टिप्पणी की। इस धारा के अनुसार, 'जो भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता है जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास यह मानने के लिए कारण है कि वह किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, वह संबंध उस व्यक्ति की सहमति के बिना बनाता है, ऐसा शारीरिक संबंध जो कि बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता, वह व्यभिचार के अपराध का दोषी होगा।' पीठ ने धारा 497 के इस पहलू को 'स्पष्ट रूप से मनमाना' करार दिया और कहा कि यह विवाहित महिला से इस आधार पर 'चल संपत्ति' के तौर पर व्यवहार करता है कि अन्य विवाहित व्यक्तियों के साथ उनका संबंध उनके पति की सहमति पर निर्भर करता है। पीठ में न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदू मल्होत्रा शामिल थे। जजों ने कहा, 'निश्चित रूप से वैवाहिक पवित्रता का पहलू है, लेकिन जिस तरह से प्रावधान अधिनियमित किया जाता है या बनाए रखा जाता है, यह अनुच्छेद 14 (संविधान के समानता के अधिकार) के खिलाफ है।


कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

चेतावनी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सम्पत्तियाँ कार्पोरेशन बैंक के पास बंधक है, अतः सामान्य रूप से जनता को सावधान किया जाता है कि वे उक्त सम्पत्तियों से सम्बन्धित किसी भी तरह का सौदा न करें। बिना बैंक की लिखित अनुमति के किसी भी तरह के लेनदेन या सम्पत्ति का हस्तान्तरण करने पर यह कार्पोरेशन बैंक के पक्ष में बनाये गये प्रभार के अधीन होगा। चूंकि उधारककर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण बैंक के पास यह अधिकार है कि वह बंधक सम्पत्ति को बेचकर अपनी बकाया राशि की वसूली कर सकता है। यदि किसी भी व्यक्ति/इकाई ने उक्त सम्पत्तियों के साथ किसी तरह का सौदा या लेन देन किया है तो यह उसके/उनके स्वयं के जोखिम पर होगा।

| क्र. सं. | ऋणी/प्रोपराइटर/जमानतकर्ता का नाम व पता | अचल सम्पत्ति का विवरण |
|---|---|---|
| शाखा : 11, बी.एन. रोड, कैसरबाग, लखनऊ। फोन : 0522-2620582,2620579, ई-मेल : cb287@corpbank.co.in | | |
| 1. | उधारकर्ता: मे0 एसबीएम लॉजिस्टिक्स साझीदारों द्वारा प्रतिनिधित्व – श्री कोशिश अग्रवाल, श्रीमती गुंजन अग्रवाल एवं श्रीमती पूजा अग्रवाल जमानतदार: श्री कोशिश अग्रवाल, श्रीमती गुंजन अग्रवाल, श्रीमती पूजा अग्रवाल, श्रीमती कृष्णा अग्रवाल, श्री ओम प्रकाश अग्रवाल एवं श्री आशीष अग्रवाल। | 1. डी-1391/3, सेक्टर-1, इन्दिरा नगर, लखनऊ- 226016 क्षेत्रफल 117.49 वर्ग मी0 जो कि श्रीमती कृष्णा अग्रवाल के नाम है, चौहद्दी निम्न प्रकार है : उत्तर-मकान सं0 डी.1391/4, दक्षिण-3.00 मी0 चौड़ा फुटपाथ, पूर्व-45.00 मी0 चौड़ी सड़क, पश्चिम-मकान सं0 डी-1391/2. 2. डी-1391/7, सेक्टर-1, इन्दिरा नगर, लखनऊ- 226016 क्षेत्रफल 21.94 वर्ग मी0 जो कि श्री ओम प्रकाश अग्रवाल के नाम है, चौहद्दी निम्न प्रकार है : उत्तर-मकान सं0 डी.1391/8, दक्षिण-3.00 मी0 चौड़ा फुटपाथ, पूर्व-45.00 मी0 चौड़ी सड़क, पश्चिम-मकान सं0 डी-1391/6. |
| 2. | उधारकर्ता: मेसर्स यशराज इंटरनेशनल 101, हलवासिया गार्डेन व्यू अपार्टमेन्ट, अपोजिट बॉटनिकल गार्डेन, लखनऊ- 226001 प्रोपराइटर द्वारा प्रतिनिधित्व :- श्री सुरेश कुमार गुप्ता निवासी सी-3/332, विशाल खण्ड-3, गोमती नगर, लखनऊ-226010 जमानतकर्ता : श्रीमती अंजना गुप्ता निवासी सी-3/332, विशाल खण्ड-3, गोमती नगर, लखनऊ-226010 | मकान सं0 सी-3/332 स्थित विशाल खण्ड-3, गोमती नगर, लखनऊ-226010 जो कि श्री सुरेश गुप्ता पुत्र श्री राम जस गुप्ता एवं श्रीमती अंजना गुप्ता पत्नी श्री सुरेश गुप्ता चौहद्दी निम्न है :- उत्तर-मकान सं0 3/331, दक्षिण-9 मी0 चौड़ी सड़क, पूर्व-मकान सं0 3/316, पश्चिम- 9 मी0 चौड़ी सड़क। |

दिनांक : 03.08.2018 स्थान : लखनऊ ह0/- प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

बैंक ऑफ इंडिया अलीगढ़ मैन ब्रांच
Bank of India
कोर्ट ऑफ वार्ड कम्पाउंण्ड, गांधी पार्क के पीछे, आगरा रोड़, अलीगढ़-202001 (यूपी)
E-mail-aligarh.ghaziabad@bankofindia.co.in, Ph.:0571-2421653, 2513350

कब्जा नोटिस अचल संपत्ति के लिए (देखें नियम 8 (1))

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ इण्डिया, अलीगढ़ ब्रांच का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 11.05.2018 को मांग नोटिस जारी किया था जिसमे उधार. कर्ता, **श्री कमलेश कुमार अग्रवाल और श्री दीपक अग्रवाल** को मांग नोटिस में वर्णित ऋण की राशि **रु. 14.86 लाख (केवल रु. चौदह लाख, छयासी हजार)** तथा उसपर आगे ब्याज एवं अन्य खर्चे नोटिस दिए जाने के 60 दिवस के भीतर चुकाने को कहा गया था।

उधारकर्ता द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 30.07.2018 को निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संपत्ति के मालिक उधारकर्ता तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन बैंक ऑफ इण्डिया अलीगढ़ ब्रांच को देय धनराशि **रु. 14.86 लाख** एवं उसपर ब्याज तथा अन्य खर्चो आदि के अधीन होगा।

**सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाए जाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 के उपधारा 8 के प्रावधान के लिए उधारकर्ताओं के ध्यान को आमंत्रित किया जाता है।**

अचल सम्पत्ति का विवरण

**सम्पत्ति का वह सम्पूर्ण भाग:** 83.61 वर्ग मीटर गज अवासीय घर जो कि जुज खेत नम्बर: 158/2 मौजा कस्बा कोल प्रथम, निकट नगला मसानी तहसील कोल, जिला अलीगढ़।
**सीमाएँ: उत्तर में**-45 फीट के बाद अराजी सेलर, **दक्षिण में**-45 फीट के बाद अराजी सेलर, **पूर्व में**-20 फीट के बाद भूरा खान की सम्पत्ति **पश्चिम में**-20 फीट के बाद 19 फीट चौड़ी सड़क

दिनांक:- 30.07.2018
स्थान- अलीगढ़
प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ इंडिया

दिल्ली कृषि विपणन परिषद्
(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)
9 इंस्टीट्यूशनल एरिया, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
फोनः 28524421 फैक्सः 011-28521871, ई-मेलः ambdl@nic.in

निविदा आमंत्रण सूचना

ई-निविदा के माध्यम से निम्नलिखित कार्य के लिए मद दर ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैः-

1. कार्य का नामः दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड कार्यालय में 8 पैसेंजर क्षमता लिफ्ट की सप्लाई, लगाना एवं 5 वर्ष तक रख रखाव करने के साथ पुरानी लगी हुई ओटिस मेक की लिफ्ट को वापिस खरीदना हेतु
अनुमानित लागत (रु. में):- 17,02,628/- धरोहर राशि (रु में):- 34,510/-
निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय 13.08.2018 at 13.00 Hrs.
निविदा आईडी सं. 2018_DAMB_151143_3
2. कार्य का नामः- फल एवं सब्जी मंडी केशो पुर में पुरानी स्ट्रीट लाइट फिटिंग, मैटल हैलाइड फिटिंग के बदले एल.ई.डी. फ्लड लाइट/स्ट्रीट लाइट फिटिंग पोल्स/हाई मास्ट/ब्रैकेट के लिए सप्लाई करना, लगाना तथा विद्युत पैनल एवं केबल लगाना, पुराने विद्युत सामान को वापिस खरीदना
अनुमानित लागत (रु. में):- 23,94,543/- धरोहर राशि (रु में):- 47,900/-
निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय 14.08.2018 at 13.00 Hrs.
निविदा आईडी सं. 2018_DAMB_151138_2
3. कार्य का नामः- सम्मेलन केंद्र-सह-गेस्ट हाउस राजेंद्र प्लेस में मौजूदा फिक्स्ड इलेक्ट्रिकल फिक्स्चर/एक्सेसरीज के स्थान पर एलईडी फिक्स्चर, एक्स्हॉस्ट पंखो, वॉल पंखो की आपूर्ति और प्रतिस्थापन समेत पुराने विघटित विद्युत वस्तुओं को वापस खरीदने हेतु
अनुमानित लागत (रु. में):- 6,36,909/- धरोहर राशि (रु में):- 12,738/-
निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय 14.08.2018 at 13.00 Hrs.
निविदा आईडी सं. 2018_DAMB_155764_1

निविदा के अन्य सभी विवरण वेबसाइट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

हस्ता./-
अधिशासी अभियंता (वि)
डी.ए.एम.बी.
DIP/ Shabdarth/1316/18-19


# थाने से छह बदमाश फरार, तीन पुलिसकर्मी निलंबित

सीहोर (मध्य प्रदेश), 2 अगस्त (भाषा)।

चोरी के आरोप में जिले के जावर पुलिस थाने की हवालात में बंद छह आरोपी बुधवार रात फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में थाना प्रभारी एवं दो आरक्षकों को निलंबित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने गुरुवार को बताया कि थाने की हाजत में बंद बदमाशों ने रात को हवालात का लोहे का दरवाजा तिरछा किया और वहां से फरार हो गए। यह घटना देर रात दो बजे से सुबह पांच बजे के बीच हुई।

पुलिस की हवालात से आरोपियों के फरार होने की घटना को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने जावर पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार एवं दो आरक्षकों अनिल मालवीय व राजाराम को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में सेवा से निलंबित कर दिया। उन्होंने बताया कि कालू सिंह (23), जतर सिंह (25), पंकज सिंह (23), बबलू (27), मोहब्बत सिंह (23) और कलम सिंह (25) को जावर की दो दुकानों में हुई चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर हवालात में बंद किया गया था। फरार हुए सभी बदमाश देवास जिले के सोनकच्छ के रहने वाले हैं। चंदेल ने बताया कि फरार आरोपियों की तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। पुलिस उन्हें सरगर्मी से तलाश रही है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।